Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

No.F(अ.66)VCS/RAJUVAS/RTI/2014/295 Dated: 8-7-2015

रजिस्टर्ड-पत्र

श्री राजेश कुमार गहलोत,
पुत्र श्री फागुन राम माली,
जस्सुसर गेट के बाहर, मालियों का मौहल्ला,
नृसिंह मन्दिर के पास, बीकानेर (राज.)

विषयः—अपील सं. 66/2015 श्री राजेश कुमार गहलोत बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 27.05.2015 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः— निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः—

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान, विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 27.05.2015 की प्रति पालनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *66/2015*

श्री राजेश कुमार गहलोत.....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी–श्री राजेश कुमार गहलोत (उपस्थित)

(2) उत्तरदाता–डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती : 22.04.2015
(ii) अपील ग्राह्यता : 22.04.2015
(iii) निर्णय दिनांक : 27.05.2015

निर्णय

अपीलार्थी श्री राजेश कुमार गहलोत द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। अपील प्रार्थना पत्र के संलग्न अपीलार्थी द्वारा प्रेषित दस्तावेज अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 विश्वविद्यालय में दिनांक 04.03.2015 को प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 120 दिनांक 24.03.2015 से अपीलार्थी को प्रत्युत्तर प्रेषित कर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1	दिनांक 16.12.2014 को प्रकाशित राजस्थान पत्रिका के अखबार के पृष्ठ संख्या–4 के अनुसार विजय भवन कैम्पस स्थित प्रेक्षागृह को अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा तथाकथित श्री देदाराम जी वंशज सार्वजनिक प्रन्यास की ओर से कोडमदेसर भैंरूजी के मन्दिर के लिए आरक्षित किये गये कार्यक्रम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र में कार्यक्रम की दिनांक अंकित नहीं की गयी है। महाविद्यालय अभिलेखों में श्री देदाराम जी वंशज सार्वजनिक प्रन्यास के नाम से प्रेक्षागृह आरक्षित किए जाने के सबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।

Contd.

2	उक्त कार्यक्रम की स्वीकृति की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करावें कि उक्त कार्यक्रम की स्वीकृत महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर किसने दी।	वांछित सूचना के क्रम मे लेख है कि महाविद्यालय द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों हेतु प्रेक्षागृह आरक्षित किया जाता है महाविद्यालय स्तर से कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दी जाती है। कार्यक्रम की स्वीकृति दिया जाना एवं किसी कार्यक्रम हेतु प्रेक्षागृह आरक्षित किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर प्रेक्षागृह आरक्षित किया जाना पृथक-पृथक विषय है। अतः वांछित सूचना के संबंध में विश्वविद्यालय अभिलेखों में कोई सूचना संधारित नहीं किए जाने के कारण सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 19.05.2014 निर्धारित कर अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। अपीलार्थी सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 19.05.2014 को व्यक्तिगत उपस्थित हुआ लेकिन पीठासीन अधिकारी अत्यावश्यक राजकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर होने के कारण अपील में सुनवाई नही की जा सकी तथा आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.05.2015 निर्धारित की गयी। सुनवाई दिवस को उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी राजेश कुमार द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए :-

1. अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि उसके द्वारा चाही गयी सूचना अभिलेख में उपलब्ध है लेकिन लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ कर उपलब्ध नहीं करवायी जा रही।
2. अपूर्ण एवं भ्रामक सूचनाएं दी गयी है।
3. वेटरनरी कॉलेज प्रेक्षागृह में कार्यक्रम हुआ था अखबार में भी न्यूज छापी है जिसकी कटिंग प्रस्तुत की गयी है सभी तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद भी सूचनाओं को जानबूझ कर छिपाया जा रहा है।
4. जेठाराम गहलोत द्वारा विकास का गलत प्रचार किया जा रहा है। पुजारियों का विवाद है इस कारण सूचना चाही गयी है।
5. बुकिंग ट्रस्ट के नाम से हुई है।

इसके विपरीत डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए :-

1. इसी अपीलार्थी ने पूर्व में भी यही सूचनाएं प्राप्त करने हेतु पूर्व में दिनांक 08.01.2015 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जिसका कि विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 58 दिनांक 03.02.2015 से अपीलार्थी को प्रत्युत्तर प्रेषित कर निस्तारण किया गया। पुनः वही सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बार-बार एक ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है।
2. अखबार की न्यूज में यह कहीं अंकित नहीं है कि किस दिन कार्यक्रम हुआ। अपीलार्थी ने भी प्रार्थना पत्र कही अंकित नहीं किया कि किस दिन कार्यक्रम हुआ। बुकिंग किस दिन हुई ? जबकि आवेदन पत्र में इनका उल्लेख किया जाना आवश्यक था।
3. ट्रस्ट के नाम से बुकिंग का कोई अभिलेख संधारित नहीं है।

Contd.

4. माननीय राजस्थान सूचना आयोग द्वारा राजेश निगम के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना से संबधित विशिष्टियां अंकित की जानी चाहिए।

मैनें उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। मेरे मत में हस्तगत अपील में निम्न विवाधक पर विनिश्चय किया जाना है :–

1. क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में विवाद्यक सूचनाओं के संबधं में पूर्ण विशिष्टियॉं अंकित की गयी है ? क्या अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में कोई सूचना प्राप्त करने का हकदार है ?

इस संबंध में मैंने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने दो बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही है। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। लेकिन अपीलार्थी ने न तो आवेदन पत्र में कार्यक्रम आयोजन की दिनांक अंकित की है न ही समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में कार्यक्रम आयोजन की दिनांक अंकित हुई है जबकि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन की दिनांक अंकित किया जाना अत्यावश्यक था। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1)(b) अनुसार आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं की विशिष्टियां वर्णित की जानी आवश्यक है। इस संबंध में मैनें डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 492/2013 राजेश निगम के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2015 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें माननीय आयोग द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया है कि आवेदक द्वारा सूचना से संबंधित विशिष्टियां अंकित की जानी आवश्यक है। माननीय राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय हस्तगत प्रकरण में मेरे मत में पूर्णतः प्रासंगिक है। इसके अलावा देदाराम वंशज सार्वजनिक प्रन्यास की ओर से कोडमदेसर भैरूजी मंदिर के लिए प्रेक्षागृह आरक्षित करवाए जाने हेतु शुल्क रसीद की प्रति दिए का संबंध है इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी डॉ. राकेश राव ने तर्क प्रस्तुत किया कि देदाराम वंशज सार्वजनिक प्रन्यास नाम से कोई बुकिंग नही हुई। इस पर अपीलार्थी ने अखबार में प्रकाशित समाचार पत्र पर बल दिया इसके अलावा अन्य कोई ठोस तर्क नहीं प्रस्तुत किया। इस संबध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई तथ्य विशिष्टतः किसी व्यक्ति के संज्ञान में है तो ऐसे विशिष्टतः तथ्यों को सिद्ध करने का भार उस संबंधित व्यक्ति पर ही होगा जिसके कि संज्ञान में ऐसे तथ्य हैं। अतः बुकिंग प्रन्यास के नाम से हुई यह सिद्ध करने का भार अपीलार्थी का था। अपीलार्थी ने डॉ. राव द्वारा प्रस्तुत तर्क के विपरित कोई ठोस साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि देदाराम वंशज सार्वजनिक प्रन्यास के नाम से प्रेक्षागृह आरक्षित करवाया गया था तथा इस बाबत विश्वविद्यालय में कोई अभिलेख संधारित हुआ है। डॉ. राव लोक सेवक है तथा बतौर लोक सेवक अभिलेखों के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क को बिना किसी ठोस आधार के अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को भी सूचना दे दी गयी थी कि प्रन्यास के नाम से कोई बुकिंग ही नहीं हुई अतः अभिलेख संधारित नहीं हुआ। सूचना का

Contd.

अधिकार अधिनियम की धारा 2 (f) में वर्णित "सूचना" की परिभाषा वर्णित अभिलेख का तात्पर्य उपलब्ध अभिलेख (Existing Material on Record) से है। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी आलोक कुमार बनाम केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सेबी के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 से भी यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि अभिलेख से तात्पर्य विद्यमान/उपलब्ध अभिलेख से है। अतः बिन्दु सं. 01 विरूद्ध अपीलार्थी निर्णित किया जाता है।

तद्नुरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया है। निर्णय की प्रति उभय पक्षो को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर